

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2017

सं. 5/2017-केंद्रीय कर

सा.का.नि.607(अ).— केन्द्रीय सरकार केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन व्यक्तियों को, जो केवल कराधेय माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने में लगे हैं, जिन पर कुल कर, ऐसे मालों या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन प्रतिलोम प्रभार के आधार पर संदत्त किए जाने का दायी है, ऐसे व्यक्तियों के प्रवर्ग के रूप में त्रिनिर्दिष्ट करती है, जिन्हें पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने से छूट प्राप्त है।

2. यह अधिसूचना 22 जून, 2017 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 349/72/2017-जीएसटी]

डा. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2017

No. 5/2017 – Central Tax

G.S.R. 607 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby specifies the persons who are only engaged in making supplies of taxable goods or services or both, the total tax on which is liable to be paid on reverse charge basis by the recipient of such goods or services or both under sub-section (3) of section 9 of the said Act as the category of persons exempted from obtaining registration under the aforesaid Act.

2. This notification shall come into force on the 22<sup>nd</sup> day of June, 2017.

[F. No. 349/72/2017-GST]

DR. SREEPARVATHY.S.L. Under Secy.